

**झारखण्ड सरकार**  
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**  
**अधिसूचना**

एस0ओ0.....

रॉची, दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11,1948) की धारा-5 की उप धारा-(2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा (3) की उप धारा (1) के खण्ड (बी) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-(1) के खण्ड (बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभिवेदनों पर विचार करने तथा झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद से भी परामर्श करने के पश्चात् झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछेक कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के पूर्व के अधिसूचना दिनांक-14.08.15 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दरों का पुनरीक्षण करते हैं। जैसा की इसके साथ अनुबद्ध सूची के स्तम्भ-3 एवं 4 में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, जो सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटी के कर्मचारियों को भुगतये होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-(1) के खण्ड-(III) के अर्थात्गत होगी।

3. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

**अनुसूची**

क्र0	नियोजन का नाम	कर्मचारियों की कोटि	न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें	न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरें	अभ्युक्ति
0	1	2	3	4	5
		अकुशल	274.81	7145.06	किसी नियोजक या नियोजन प्रतिष्ठान नियोजित कर्मचारियों की सेवा अवधि के उपा के आधार पर स्थापित न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्नानुसार अतिमानता के साथ न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रभावी होंगी :- 05 वर्ष से कम-शून्य 05 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक-10 % 10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक-15 % 15 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष तक-20 % 20 वर्ष से अधिक-30 %
		अर्द्ध-कुशल	287.90	7485.40	
		कुशल	379.51	9867.26	
		अतिकुशल	438.39	11398.14	
		लिपिकीय	379.51	9867.26	
1	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
2	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
3	को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4	अल्मुनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
5	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6	केमिकल एण्ड फ़ार्मास्यूटिकल	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	उद्योग के नियोजन				
7	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
8	सिमेन्ट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
9	एसबेस्टस सिमेन्ट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	बन्दुक कारखाने के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	लॉन्ड्री एवं वाशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	सिन्दूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17	घर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	उड़ वकर्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	आइस्क्रीम एवं कोल्डड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20	पेट्रोल एवं डीजल पम्पस के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	स्पंज आवरण, छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इमगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	मोटर गैराज एण्ड वकर्स शोप्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
26	मोटर बॉडी बिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27	मेस, कैटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28	चाटेड/कास्ट एकाउंट्स/ओडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एण्ड आर्किटेक्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्युट, निजी स्कूल आदि के नियोजन(शिक्षण कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	छोड़कर)				
30	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	पंडाल आदि का साज-सज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	गार्डिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ मिनरल और के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, करगोटड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
41	मिनरल गार्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42	प्लाईवुड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43	ढलाई(फौण्ट्री उद्योग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44	डिस्टिलरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47	किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
50	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है ) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54	शीशा उद्योग (ग्लास सीट को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
55	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56	बॉध निर्माण एवं सिंचाई कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	कोल्ड स्टोरेज का नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59	हाई कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60	रिफ्रेक्टरीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
61	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
62	अबरख कार्य (खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63	बेकरीज एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
64	आटा मोबाईल इंजीनियर शाप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
65	चावल, आटा मिलों, दाल मिलों एवं तेल मिलों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
66	डेयरी एवं पॉल्ट्री फार्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
67	धर्म शोधनालय और धर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
68	पॉर्ट्रीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
69	बुहारने एवं सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
70	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
71	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

72	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
73	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराजों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
74	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
75	कृषि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
76	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधि०-1976 से आच्छादित नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

**टिप्पणी :-**

- न्यूनतम मजदूरी की दरें अखिल भारतीय उद्योगका मूल्य सूचकांक 2011, जो दिसम्बर, 2010 को सूचकांक पर आधारित है।
- न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप धारा-4 (1) के खण्ड (III) के अन्तर्गत होगी।
- मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपांतरण क्रमशः 28 से भाग दे कर और 28 से गुणा कर के किया जाएगा।
- न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय चारिश्मिक शामिल है।
- साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाला कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से सम्बन्धित काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।
- पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पावेंगे।

**स्पर्धीकरण :-**

**अकुशल :-**

बज्जी फैलाने वाला, बैलदार, बीटर महिला, बैलपुमान, वैनमैन, भाषिक बाल्टी वाला वाहन (पल्पर), वहक (पानी), गाड़ीवाहक, फेरटकर (पुल), क्वीनर (क्रेन, ट्रक, राखणों के लिए सिडर), चौकीदार, कंजीट (हथ से मिलाने वाला), चफादार, ड्राइवर (बैल ड्रैट, गाधा, खच्चर), झंडीवाला, झंडीवाला (ब्लास्ट ट्रेन), गेटमैन, वीगमैन, गेटिंगमैन (स्वाची पथ), हैंडलमैन, जम्परमैन, कानिन, (महिला कर्मी), खलास, पुल, विद्युत, मीरीन, मोपलाह, मंजार, स्टीम सेड, रोयर, रोस्टर सर्वे, श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, लारी प्रोसेसु, पेड्रोल्मैन, सपराली, तलाशीकर्ता, सिगनलमैन, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग), स्वीपर टाल बघ, टाईल टर्नर, ट्रांसीमैन, वलस कन्ट्रोलर, वाल्वमैन, वाचमैन, सफेदीवाला, कुडरमैन, वजरोमैन, बोरीमैन, कोलमैन, कंडेसर, परिचर, घास काटनेवाला, मुखर जम्भदार, कन्ठेन्सर परिवर, कंटर और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हैं जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी कुशलता या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाय।

**अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :-**

बेलमो वाला, मिश्री, मिश्री (पूरक सहित), नकाला (जगन), बंजक (बट्टान, पल्पर प्रलार घातु, पल्पर), बैल बुनने वाला, वैनमैन (प्रधान), चारपाई बनाने वाला, जीव पकटान कर्ता, चौकीदारी (प्रधान), सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार), ब्रेकर, बक्षरी, झालीमैन, सहायक, ड्रिलर, चालक (रिक्शा), उत्खनक, फॉरोमैन, फायरमैन, फायरमैन (ड्रैटो का बट्टा स्टीम सेड रोस्टर) गेटकीपर, घराही बेचर, शोशेवाला, सेटर, बीस्तर एवं फायरमैन, गार्डर, हथौड़ेवाला, सहायक (काटीगर), सहायक(आराकर), जमादार, मी मैन, खलासी(प्रधान सर्वेसक, रिक्टरसे, मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी), श्रमिक(बट्टानकर्तन), लक्कर, माती, (प्रधान) मैट, मैट(तोहार सड़क, कास्टकर इजिन चालक और/याकीडर, फिटर गैंग, खलासी, मजदूर राज, स्वाची पथ, घग्ग ड्राइवर, टर्नर), मजदूर(भारी वजन), चार्जमैन, मिस्त्री(प्रधान), मुकादम, राबिगाई, रनर(पोस्ट डाक), सहायक वाय बनाने वाला परोसने वाला(सर्विस मैन), बेरा, वेटर, तेलवाला, खदानकर, खदान प्रचारक, स्टीन मैन, अण्डरवाला, बेचर, भंडारवाले और बायलर मैन, शुम्बरमैन(स्पेडकर्मि), टिडलस, टॉलीमैन(प्रधान मॉटर), फिटर (सहायक, अर्द्धकुशल), जम्भदार(अर्द्धकुशल), मेट (पल्पर), पग्ग अटेंडेंट, पोस्टर ब्वॉय, प्वाइंटर, अभिलाषक, वाहक, ब्रेकमैन, कोल्डमैन, रसोइया, छड़ी, फराश, हैक्सामैन, सहायक(लोको, ब्रेनाट्टक) कसाब, खलासी(संरचना), प्रयोगशाला, परिचर, मांझी (लाव वाला), मसालाची, पी०एम० मेटस,

प्लांट्समैन सेनकन्मी, टोपज, तोपकार(बड़े पत्थर तोड़ने वाला), ट्रावी जमादार, विचमैन, हाजिरी भगानेवाला, सहायक वायर मैन और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकृशल प्रकृति के हों जिन्में अनुभव के आधार पर कुछ कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षक/मार्गदर्शन में किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी नाम पुकारे जाय।

### कुशल:-

सहायक मिस्त्री, आर्मिया वाइंडर से श्रेणी II और III मण्डरी, लोहार, लोहार(घचनश्रेणी, वेड-II, III वर्ग) और III)बायलर मैन, बायलर मैन श्रेणी II, III)बायलर फोरमैन श्रेणी II, कार्य(सहायक), ईट बिछाने वाला(घचन श्रेणी II), क्लास्टर, बड़ई, बड़ई( घचन वेड, वेड II व III, वर्ग I व III), सहायक वी०आई०एम० रोड), केबिनेट बनानेवाला, सुरक्षा गार्ड(शस्त्र सहित), केन्समैन, स्लोट्टेक्स, कटर बनाने वाला चार्जमैन, श्रेणी II और III, कण्ठकार (सधारण), जॉच पडतालकता(कनिष्ठ), चिक बनाने वाला, चिकवाला (कनिष्ठ), कंठीट मिश्रण मिश्रक, कंठीट मिश्रक प्रचालक, मीची, बॉर मेकर, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर वाहन घचन श्रेणी, मोटर लारी श्रेणी II, लॉरी वेड II डीजल इंजन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक रोड रोलर, आई०सी० और सीमेंट मिश्रक आदि रोड रोलर, रोड रोल्नर चालक श्रेणी II, धालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्लार, टैक्टर/बुलडोजर, स्टीम, रोड रोलर, जल पम्प, यांत्रिक सहायक, रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम और ब्रेन, बुलडोजर सहित, टैक्टर यांत्रिक, परिवहन, इंजन, स्थिर और रोड रोलर, बायलर परिचर इंजन), प्रचालक(स्टोन क्लार यांत्रिक, डिस्ट्रिब्यूटोर, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री (श्रेणी II वर्ग II, और वर्ग III) फिटर, फिटर (घचन श्रेणी, श्रेणी II, वर्ग III), पाईपलाईन एंडिंग ब्रास फॉर टी-इंफेसमेंट, कन-मैकेनिक, यांत्रिक और नलसाज), घरमी(प्रधान), ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए छिद्र डिलर, जॉयनर, जॉयनर केबल, केबल श्रेणी II लाइने मैन(वेड II, III, उच्च टावर/ कम टावर) राजमिस्त्री, राजमिस्त्री (घचन श्रेणी, श्रेणी II, III, और वर्ग छ मिस्त्री) स्टोन वर्ग II, ईट का काम, पत्थर का कार्य), ईट बिछानेवाला, टाइल फ्लोरिंग, वी०आई०एम०, मुक्कटम(प्रधान), पत्थर कलन, साधारण मिस्त्री, मैकेनिक, यांत्रिक (वर्ग II, वातानुकूलन, वातानुकूलन, श्रेणी II, रोड रोलर श्रेणी II, सहायक, रेडियो) राजमिस्त्री (घरमी), मिस्त्री श्रेणी II, वातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी पत्र, सर्वेक्षण संतप्तन कार्य) राजमिस्त्री वर्ग क, मोल्डर, मोल्डर(ईट, टाइल), रंगपेटर, रंगपेटर (घचन श्रेणी, वेड II, और III वर्ग II, सहायक लाटर और पोलिशर, पोलिशर रफ (प्लास्टरकरी) (राजमिस्त्री वेड II) नलसाज, नलसाज(घचन वेड, वर्ग II, सहायक लाटर और पोलिशर, रफ) प्लास्टरकरी, प्लास्टरकरी (राजमिस्त्री वेड II), नलसाज (घचन वेड, वर्ग-II)सहायक वरिष्ठ, कनिष्ठ, मिस्त्री श्रेणी II)नलसाज मिस्त्री, नलसाज-सह-फिटर, पालिशगर, पालिशगर (फर्श), पम्प धालक, पम्प धालक, धालक, पम्पवाला, पम्पवाला (सहायक) नलसाज पालिशकर(स्प्रे सहित), श्रेणी II, रतनमैन, रिश्ति कटर (सहायक) रिश्ति, रिश्ति(कटर), सड़क निरीक्षण श्रेणी II, रेलवे प्लेट लेयर, रोड ब्रेन्डर, आराकश, आराकश (घचन श्रेणी वर्ग II), संगम, संगम पाइल इंड्रिंग पैट्टन्स,बायलर सहित, शेपमैन, पारी प्रभाठी, स्प्रे मैन, स्प्रे मैन(रोड),स्टोनकटर, (घचन वेड, वेड II, वर्ग II)स्टोन फिसलर, स्टोन फिसलर(वर्ग II), पत्थर विस्फोटकरी, उप ओवरसियर (अनहर्क) सर्वेक्षक, सर्वेक्षक (सहायक), दर्जी, दर्जी(अपहॉलरटी) ट्रास्पेयर तारमैन, लाइनमैन, टाइलर वर्ग II, टीवार(फर्श, छुते), टाइलर(घचन श्रेणी), टीनकार टीनकार (घचन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II), ठठेरा, टैक्स, टॉर, सोफकाज, सोफकाज (श्रेणी IIऔर III), रंगसाज स्प्रे (वर्ग II), लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला घचन श्रेणी, लकड़ी काटने वाला श्रेणी II, बर्क सिरकार, झलाईगर, मैस झलाईगर (वर्ग II) पुन कार्य ) कूप निगज्जक, सफेदी वाला, सफेदीवाला (घचन श्रेणी वर्ग II), वायरमैन, वायर मैन (श्रेणी II और III, यांत्रिक, विद्युत) वाइट वाशिंग एंड कलर वाशिंग मैन, वातिक औजार प्रचालक, प्रचालक (फिटर), बोरमैन, वेधक, छिनाईंगार छिनाईंगार एवं फिसाईंगर, रसोईया (प्रधान) डिलर, डिलर(कूप वेधन) चालक (लोको/ट्रक), बिजली मिस्त्री (सहायक), यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (रटेल, दूक-बेल, टेलीफोन), मोटर रोडर, मीसम वेक्षक, नावधानी प्रचालक (बैचिंग संघर्ष, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प, बोल्स, सफाईक, येन, डीरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रेमलिंग, डिल डंपर, ड्रखलक, फोर्क, लिफ्ट, जनिव, रोडर, जैक हैम्पर और पेरमेंट ब्रकता लोडर, फाय,वाइल घालन, स्केपर, रिक्निंग तयव, धोवेल, टैक्टर, वाइब्रेटर, वेटबीयर, रेल गार्ड, रिपेयर (बीटरी), शाप/रस्तरट, स्प्रेयर(एशालट) स्टेशन मास्टर, सर्वेक्षक (सिन्ट), टैडसमैन, ट्रेन परीक्षक, ट्रेनर/मिलर, टायर बन्नेनाइजर, बावर्ची, क्वरीगर, हतवाइ, महासाज, सहायक महाराज, रसोईया, सहायक रसोईया, रोटी क्वरीगर, आईस्क्रिम मिस्त्री, ब्रोसा मास्टर, प्रधान वेटर, प्रधान बैरा कुशल प्रकृति की कोई अन्य श्रेणियां चाहे जिन्में कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यवसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके निष्पादन के लिए पहन और विवेक के आवश्यकता होती है, उनके नाम कुछ भी हों।

### निपिकीय:-

एम०सी० निपिक, मुंशी (मेट्रिकुलेट, नान मेट्रिकुलेट), भंडार निपिक (मेट्रिकुलेट, नान मेट्रिकुलेट), जारीकरी, भंडार रसक भंडार, रसक वर्ग I और II (मेट्रिकुलेट), मिलान निपिक, समय पाल, समयपाल(मेट्रिकुलेट, नान मेट्रिकुलेट), बुक कीपर, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ) लेखानिपिक, निपिक, सगणक, टेलीफोन प्रचालक, टंकक, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो कि निपिकीय प्रकृति के हों।


### अतिकुशल:-

आर्मियर वाइंडर श्रेणी I लोहार श्रेणी I और वर्ग I बायलरमैन श्रेणी I, बायलरमैन फोरमैन श्रेणी I, ईट बिछाने वाला वर्ग I, केबल संयोजक श्रेणी I, कण्ठकार श्रेणी I, और वर्ग I, मोतो कटर और सजावटकार, चार्जमैन वर्ग I, जॉच पडतालकता (ज्येष्ठ), धालक लारी श्रेणी वेड I, मोटर लारी श्रेणी I, मोटरवाहन वर्ग I और डीजल इंजन श्रेणीआई, रोड रोलर श्रेणी I, पम्प वर्ग विद्युतकर्मी श्रेणी Iऔर वर्ग IIश्रेणी I, फिटर(श्रेणी I और वर्ग I), पाईप वर्ग I (प्रधान), फोरमैन, (सहायक) लाइनमैन श्रेणी I राज(कुशल श्रेणी I, वर्ग I), मास्ट रिंग, मैकेनिक वर्ग I और वर्ग II, मैकेनिक(डीजल) श्रेणी I और रोडरोलर श्रेणी I, वातानुकूलन श्रेणी I/ वर्ग I/मिस्त्री श्रेणी I, मिस्त्री (वातानुकूलन श्रेणी I), ओवरसियर,

ऑवरसियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) रंगसाज श्रेणी I, वर्ग I, स्टे), प्लास्टरकटो (राज) वर्ग I, नलसाज (प्रधान वर्ग I) मिस्त्री श्रेणी I, पालिशकटो (स्टे सहित) वर्ग I, सड़क निरीसक वर्ग I, आराकश श्रेणी I, स्टोन कटर वर्ग I, स्टोन डिक्लर श्रेणी I, स्टोन मिन्की श्रेणी I, उप ओवरसियर (योग्यताप्राप्त), टाइलर वर्ग I, टीनकार श्रेणी I, वर्ग I, सोफासाज श्रेणी I, कार्मिकार वर्ग I, वेल्डर एवं फिटर और वातानुकूलन, मैकेनिक इलाईकार (नैस) वर्ग I, सफेटी वाला वर्ग I, कायर मैन श्रेणी I, वर्ग I, काष्ठ कटनेवाला वर्ग I, घिसाईकार (औजार) श्रेणी I, प्रचासक (बैचिंग प्लांट) श्रेणी I, कर्मचारी श्रेणी I, कम्प्रेसर श्रेणी I, ड्रैज श्रेणी I, ड्रैजल ड्रैजिन श्रेणी I, ड्रैजल रोड I, ड्रेनलाइन वर्ग I, ड्रिल श्रेणी I, ड्रपर श्रेणी I, ड्रखनक श्रेणी I, फोर्क लिफ्ट श्रेणी I, जनित्र श्रेणी I, योडर श्रेणी I, तीडर श्रेणी I, पाईल ड्राइविंग श्रेणी I, पम्प श्रेणी, स्केपर श्रेणी I, स्क्रिनिंग संयंत्र श्रेणी I, शवतल श्रेणी I, शावन और ड्रेगलाइन, ड्रैक्टर श्रेणी I, वाइब्रेटर श्रेणी I, रिस्टर श्रेणी I, रिगर श्रेणी II, चार्पर/स्लेटर श्रेणी I, शावल और ड्रगलाइन, ट्रैक्टर श्रेणी I, ट्रैक्समैन वर्ग I, टर्नर/मिलर श्रेणी I, टायर वलकेनाइजर श्रेणी I, कार्व (सहायक) श्रेणी I, वातानुकूल परिचालक, चिक्कार, प्रधान कार्वी, प्रधान खानसामा, प्रधान महाराज, प्रधान कारियर और कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति के हों, जिनमें सधन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री तथा पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन हेतु कामगारों में विवेक या विनिरवय के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।

(संख्या-2/एम0डब्लू0-20-20/2015 श्र0नि0-1880 दिनांक-24.10.19

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0.....एस0ओ0..... दिनांक-..... का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संख्या-2/एम0डब्लू0-20-20/2015 श्र0नि0-1881 दिनांक-24.10.19

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
सरकार के अवर सचिव।

Notification

S.o-----

Ranchi, Dated-----

In the exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with sub-section (2) of section-5 of the said Act, and after having considered all the representation received on the proposal notified under clause (b) of sub section (1) of section 5 of the said Act, and also after consulting the Jharkhand Minimum Wages Advisory Board, the Government of Jharkhand is pleased to revise the Minimum rates of wages fixed in Labour, Employment & Training Department previous notification Dated-14-08-15 for certain categories of employees employed in below mentioned scheduled employment in the State of Jharkhand which the Governor of Jharkhand as specified in column-3 & 4 of the schedule here to annexed against each such categories of employees specified in the responding entry in column-2 there of which shall be payable in the whole of the State to such different categories of employees employed in the said employment.

2. The Minimum rates of Wages so revised shall be within the meaning of clause (III) of Sub-Section (a) of Section-3 of said Act.

3. The Notification shall come into force with effect from the date of its issue.

## SCHEDULE

Sl.N.	Name of the Schedule Employment	Categories of employees	Daily Minimum Rates of Wages	Daily Minimum Rates of Wages	Remarks
0	1	2	3	4	5
		Unskilled	274.81	7145.06	Rates notified of Minimum wages shall be effective with service weightage at the following rates considering the service period completed under as employer or employment establishment - Below 05 years -Nil Above 05 years upto 10 years -10% Above 10 years upto 15 years -15% Above 15 years upto 20 years -20% Above 20 years -30%
		Semi Skilled	287.90	7485.40	
		Skilled	379.51	9867.26	
		Highly Skilled	438.39	11398.14	
		Clerical	379.51	9867.26	
1	Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics	Do	Do	Do	Do
2	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	Do	Do	Do	Do
3	Co-operative Sectors	Do	Do	Do	Do
4	Aluminums Industry	Do	Do	Do	Do
5	Khan sari Industry	Do	Do	Do	Do
6	Chemical and Pharmaceutical Industry	Do	Do	Do	Do
7	Soap Making Industry	Do	Do	Do	Do
8	Cement Prestressed Products	Do	Do	Do	Do
9	Asbestos Cement Factory	Do	Do	Do	Do
10	Glass Sheet Manufacturing	Do	Do	Do	Do
11	Gun Factory	Do	Do	Do	Do
12	Religious and Social Institutions	Do	Do	Do	Do
13	Paper Industry	Do	Do	Do	Do
14	Laundry and Washing	Do	Do	Do	Do
15	Hosieries Manufacturing	Do	Do	Do	Do
16	Manufacturing of Sindur and Rang	Do	Do	Do	Do
17	Manufacturing of Leather Goods	Do	Do	Do	Do
18	Wood works and Furniture	Do	Do	Do	Do
19	Ice-Cream and Cold Drinks	Do	Do	Do	Do
20	Petrol and Diesel Pumps	Do	Do	Do	Do
21	Fisheries	Do	Do	Do	Do
22	Khadi and Village Industry	Do	Do	Do	Do
23	Private Ferries and L.T.C	Do	Do	Do	Do
24	Sponse Iron, Road manufacturing and manufacturing of angle Iron and Ingots	Do	Do	Do	Do
25	Employment of Motor Garages and workshops	Do	Do	Do	Do
26	Employment of Motor Body Building	Do	Do	Do	Do
27	Employments of Mess, Canteens and Clubs	Do	Do	Do	Do
28	Employment in Chartered/ Cost Accounts, Auditors, Tax Consultancy and Architect.	Do	Do	Do	Do
29	Privet Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non	Do	Do	Do	Do

30	Employment in laying of under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage pipe line	Do	Do	Do	Do
31	Employment of Electricity Generator and supply	Do	Do	Do	Do
32	Employment in Decoration of pandal etc	Do	Do	Do	Do
33	Grinding and Crushing of Mineral ore	Do	Do	Do	Do
34	Employment of Bus and Truck Driver/ Conductor and Cleaners	Do	Do	Do	Do
35	Computer Coaching Institute etc	Do	Do	Do	Do
36	Duffi, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	Do	Do	Do	Do
37	Coal Briquette Industry	Do	Do	Do	Do
38	Handloom Industry	Do	Do	Do	Do
39	Manufacturing of Gold and silver ornaments	Do	Do	Do	Do
40	Biscuit Industry	Do	Do	Do	Do
41	Mineral Grinding Industry	Do	Do	Do	Do
42	Plywood Industry	Do	Do	Do	Do
43	Foundry Industry	Do	Do	Do	Do
44	Distilleries	Do	Do	Do	Do
45	Electronic Industry	Do	Do	Do	Do
46	Any Woolen Carpet making or Shawl Weaving Establishments	Do	Do	Do	Do
47	Any University, Education Research or Cultural Institutions	Do	Do	Do	Do
48	Tailoring Industry	Do	Do	Do	Do
49	Plastic Industry	Do	Do	Do	Do
50	Rubber and Rubber Compound Industry (In Which Manufacture of Tyre and Tubes is also included)	Do	Do	Do	Do
51	Electric and other Type of Bulb and Florence Tube Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do
52	Book Binding Industry	Do	Do	Do	Do
53	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway Sleeper Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do
54	Glass Industry (Excluding Glasheet)	Do	Do	Do	Do
55	Construction or Maintenances of Roads or Building Construction	Do	Do	Do	Do
56	Dam Construction and Irrigation Works	Do	Do	Do	Do
57	Public Motor Transport	Do	Do	Do	Do
58	Cold Storage	Do	Do	Do	Do
59	Hard Coke Ovens	Do	Do	Do	Do
60	Refractory's Fire Bricks and Cemic Industry (Tiles)	Do	Do	Do	Do
61	Printing Press	Do	Do	Do	Do
62	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	Do	Do	Do	Do
63	Bakeries and Confectioneries	Do	Do	Do	Do
64	Automobile Engineering Workshops	Do	Do	Do	Do
65	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills or Oil Mills	Do	Do	Do	Do

66	Dairy and Poultry farms	Do	Do	Do	Do
67	Tanneries and Leather Manufactory	Do	Do	Do	Do
68	Potteries	Do	Do	Do	Do
69	Employment of Sweeping and Cleaning	Do	Do	Do	Do
70	Any Shop or Establishment other than that covered under any of other entries in this scheduled	Do	Do	Do	Do
71	Shop Selling Cooked Food Staff	Do	Do	Do	Do
72	Private Security Agency	Do	Do	Do	Do
74	Cinema Industrial	Do	Do	Do	Do
75	Employment in Agriculture	Do	Do	Do	Do
76	Employment in Mobile & Tower Industrial	Do	Do	Do	Do
77	Employment of Sales Promotion (Regulation and Abolition) Act, 1976	Do	Do	Do	Do

**NOTE:-**

- The minimum rates of wages above are based on the All India Consumer Price Index Number 301, which is Price Index of December, 2018
- The proposed rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause (III) of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.
- Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- The proposed rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951
- Men and Women workers shall get the same rates of wages of for the work of a similar nature.

**EXPLANATION :-**

**Unskilled :-**

Bajel Spreader, Balder, Beater Women, Bell-Woman, Chain Man, Boat Man, Bucket Man, Carrier (Stone), Carrier (Water), Cart Man, Caretaker (Bridge), Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash pit), Chowkidar, Concrete (Hand Mixer), Daffodil, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), Flag Man, Flagman (Blast Train), Gate Man, Gagmen, Gating man (Permanent Way), Handle Man, Jumper Man, Kamin (Female Work), Khalasi, Bridge, Electrical, Marine, Moplah, Store, Steam Road, Share, Roller Survey, Laborer (Garden), Mazdoor, Hole Cutter, Lorry Trainees, Patrolman, Peon, Searcher, Signal Man, Strikers, Striker (Moplah gang), Sweeper, Tall Boy, Tile Turner, Trolley man, Vaks Controller, Valve man, Watchman, White Washer, Wooder man, Wooder Women, Coal man, Condenser, Attendant, Grass Cutter, Muchhers' jamadars, Condenser Attendant, Shunters, and any other categories by whatever name called, which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job and are of an unskilled nature.

### Semi-Skilled/Unskilled Supervisory :-

Belchawala, Bhisti, Bhisiti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker, Breaker, Stone, Rock Stone, Mental, Canweaver, Chain-man (Head) Security Guard (Without arms), Cracker, Dafit, Dollyman, Assistant, Driller, Driver (Skin), Excavator, Ferroman, Fireman, Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller), Gate Keeper, Gharami Thatcher, Classman, Grater, Greaser-Fireman, Grinder Hummerman, Helper (Assistant), Helper (Sawyer), Jamadar, Keymna, Khalasi (Head Survery, Rivertters-Moplak Gang, Supervisory), Labourer (Rock-Cutting), Lascar, Mali (Head), Mate, Mate (Blacksmith, Road, Carpenter), Engine Driver and/or Feeder, Fitter, Gang, Khalasi, Mazdoor Mason, Permanent Way, Pump-Driver Turner), Mazdoor (Heavy-weight), Poster Boy, Pointer, Chargeman, Mistri (Head, Muccadam, Night-guard, Runner (Post dak), Oilman, quarryman, quarry operator, Stoneman, Stocker, Thatcher, Stockers and Boilerman, Thoombaman (Spade worker), Tindals, Trolleyman (Head motor), Fitter (Assitant Semi Skilled), Jamadar, (Semi Skilled), Teaman, Tea maker, Jogira, Service man, Table Boy, Bearer, Waiter, Assistant Service Man, Mate (Stone), Pump Attendant, Bearer, Breakman, Crowlder Man, Cook Dandee, Frash, Kacksawman, Helper (Locco-Crane/Truck), Kadab, Khalasi (Structural), Laboratory Boy, Manjhee (Boatman), Masalchi P.M. Mates, Pointsman Sencummy, Topas, topkar (Big Stone Breaker), Trolly Jamadar, Winchman, Attendance-Keeper, Assistant Wireman and any other Categories by whatever name called which involve some degree of skill or competence acquired through experience of the Job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee and are Semi Skilled nature.

### Skilled :-

Assistant Mistry, Armature Winder Grade-II and III, Bhandari, Blacksmith, Blacksmith (Section Grade-II, III, class-II and III), Boiler man, Boiler man, Grade-II, III Boiler Foreman Grade-II, Work (Assistant) Brick layer, Brick layer (Selection Grade Class-II, Blaster, Carpenter, Carpenter (Selection Grade-II and III, Class-I and III Assistant, B.I.M. Road, Cabinet Maker Security Guards (With arms) Cane man, Caltex, Cutter Maker, Charge man Class-II and Class-III, Carpenter Ordinary), Checkder (Junior), Chick maker, Chick mixture Operator, Cobbler, Core maker, Driver, Driver Motor Vehicle, Motor Vehicle Selection Grade, Motor Lorry, Motor Lorry Grade-II, Lorry Grade-II, Diesel Engine, Diesel Engine Grade-II, Mechanical Road Roller I. C. and Cement Mixer etc, Road Roller, Road Roller Driver Grade-II, Driver(Engine Static, Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport Engine Static and Road Roller Boiler Attendant, Enjoin Operator (Stone Crusher Mechanical) Distemper, Electrician, Electrician (Grade-II, Class-II and Class-III), Fitter, Fitter(Selection Grade, Grade-II and III) Class-II and III Assistant, Pipe Class-II, Booking Clerk, Typist, Assistant Air Conditioning Operator, Pipe Line ending Bars for reinforcement cum-mechanic, Mechanic and Plumber), Gharami (Head), Glazier, Hole Driller for Blasting Joiner, Joiner (Cable, Cable Grade-II), Lineman (Grade-II, III, High Tension/Low Tension), Mason, Mason (Selection Grade, Grade-II, III and Class-B Mistry), Stone (Stone Class-II Brick Work, Stone Work), Brick-layer, Tile Flooring, B.I.M. Muccadam (Head), Stone Cutting, Babar chi, Karigar, Hallway, Maharaj, Assistant Maharaj, Rasoiya, Assistant Rasoiya, Head Bearer, Bread Karigar, Ice-Cream Mistry, Dosa Mastar, Ordinary Machanis, Mechanic, Mechanic (Class II, Air Conditioning, Air Conditioning Grade II Diesel Grade II Road Roller Grade II, Assistant Radio), Manson (Gharami), Mistry, Mistry Grade II, Air Conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works), Mason Class A, Moulder, Moulder (Brick, Tile), Painter Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and

Polisher, Polisher, Rough), Plasterer, Plasterer, (Mason Grade II), Plumber, Plumber (Selection Grade Class II), (Selection Grade Class II, Assistant Senior, Junior Mistry Grade II), Plumbing Mistry, Plumber-Cum-Fitter, Polisher, Polisher (Floor), Pump Driver, Pump Driver, (Selection Grade), Grade II and III, Class II), Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver, Pumpman, Pumpman (Assistant), Plumber, Polisher (with Spray) Grade II, Ratan Man, Rivet Cutter (Assistant) Rivetter, Rivetter (Cutter), Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer, Rod Bender, Sawyer, Sawyer (Selection Grade Class II), Serang, Serangpile Driving Pantooms with Boiler, Shapeman, Shift-inchareg, Sprayman, Sprayman (Roads), Stone Cutter, Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II), Stone Chisler, Stone Chisler (Class II), Stone Blasterer, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyors, Surveyors (Assistant), Tailor, Tailor (Upholstry), Transprayer, Tar Man, Line Man, Tiler Class II, Wall (Floor, Roof), Tiler (Selection Grade), Tin Smith, Tin Smith (Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker, Tailors, Turner, Upholsterer, Upholsterer (Grade II and III), Painter Spray (Class II), Wood Cutter Class II, Work Sircar, Welder, Welder gas, Welder (Class II, Bridge Work), Well Sinker, White Washer, White Washer (Selection Grade Class, II) Wierman, Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical), White Washing and Colour Washing Man, Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter), Boreman, Borer, Chipper, Chipper-Cum-Grinder, Cook (Head), Driller, Driller (Well Boring), Driver (Loco/Truck), Electrician (Assistant), Mechanic (Tube-Well), Mistry Stell, Tube-Well, Telephone), Meter Reader, Meterological Observer, Navghani, Operator (Batching Plant, Cinema Project, Clamp shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment Breaker Loader, Pump, Pile Driving Scrapper, Screening Plant, Shval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery), Sharper/Slotter, Sprayer (Ashalt) Station Master, Surveyor (Silt), Trades-Man, Train Examiner, Turner/Miller, Tyre Vulcaniser and any other categories by whatever name called, which involove skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and performance of which call for initiative or judgement and are of a skilled nature.

#### Clerical :-

M.C. Clerk, Munshi (matriculate, Non Matriculate), Store Clerk (Matriculate, Non Matriculate), Store Issuer, Store Keeper, Store Keeper Grade I, Grade II (Matriculate), Tally Clerk, Time Keeper, Time Keeper (Matriculate, Non Matriculate), Book Keeper, Work Munshi, Work Munshi (Subordinate), Accounts Clerk, Clerks, Computer, Telephone Operator, Typist, and any other categories by whatever name called, which are of clerical nature.

#### Highly Skilled:-

Armature Winder Grade I, Blacksmith Grade I and Class I, Boilerman Grade I, Boilerman Foreman Grade I, Brick Layer Class I, Cable Joiner Grade I, Carpenter Grade I and Class I, Celo Cutter and Decorator, Chargemen Class I Checker (Sr) Driver Lorry Grade I, **Grade I, Motor Lorry Grade I**, Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I, Road Roller Grade I, Pump Class Electrician Grade I and Class I/Grade I, Fitter (Grade I, Class I), Pipe Class I (Head), Foreman (Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I), Mast Rig, Mechanic Class I and Class II, Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I, Air Conditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I, Mistry (Air Conditioning Grade I), Overseer (Senior and Junior), Painter (Grade I, Class I, Spray), Plaster (Mason) Class I, Plumber (Head, Class I), Mistry Grade I, Polisher (With spray Grade I, Road Inspector Grade I, Sawyer Class I, Stone Cutter Class I, Stone Cutter Grade I, Stone Chester Class I, Stone Mason Class I, Sub-Overseer (Qualified), Tiller Class I, Tinsmith

Grade I and Class I, Upholsterer Grade I, Varnisher Class I, Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic, Welder (Gas) Class I, White Washer Class I, Wireman Grade I, Class I, Wood Cutter Class I, Grinder (Tool) Grade I, Operator (Batching Plant Grade I), Clamp Shell Grade I Air Conditioning Operator, Painter, Compressor Grade I, Crane Grade I, Diesel Engine Grade I, Dozer Grade I, Dragline Grade I, Drill Grade I, Dumper Grade I, Excavator Grade I, Fork Lift Grade I, Generator Grade I, Grader Grade I, Leader Grade I, Pile Driving Grade I, Pump Grade, Scrapper Grade I, Screening Plant Grade I, Pump Grade I, Scrapper Grade I, screening Plant Grade I, Shovel Grade I, Shovel and Dragline, Tractor Grade I, Vibrator Grade I, Rigger Grade I, Rigger Grade II, Head Babarchi, Head Khansama, Head Maharaj, Head Karigar, Chirper/ Sletter Grade I, Shovel and Dragline Tractor Grade I, Tradesman Class I, Turner/Miller Grade I, Tyre Vulcaniser Grade I, Work (Assistant) Grade I and any other categories by whatever name called, which calls for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks, acquired through extensive technical or professional training or practical work experience for long years and also required of a worker to assume full responsibility for the judgment or decision is involved in the execution and are of a highly skilled nature.

No-2/M.W.-20-02/2015 L&E-1880 Ranchi, dated-24.10.19

By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary to Government

ज्ञापांक:-2/एम0डब्लू-20-02/2015, श्र0नि0-1881, राँची, दिनांक-24.10.19  
प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ज्ञापांक:-2/एम0डब्लू-20-02/2015, श्र0नि0-1881, राँची, दिनांक-24.10.19  
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-2/एम0डब्लू-20-02/2015, श्र0नि0-1881, राँची, दिनांक-24.10.19  
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।